''राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमः वनों के निरन्तर विकास के लिए एक सहभागी प्रयास''

(केन्द्रीय वित्त-पोषित योजना)

10वीं पंचवर्षीय योजना के संचालन हेतु मार्ग-दर्शिका।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गठित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की चार केन्द्रीय वित्त–पोषित योजनाओं–समन्वित वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजना **(IAEPS)**, जलाऊ लकड़ी एवं चारे के विकास के लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन योजना **(AOFFPS)**, गैर–इमारती वनोत्पादों (औषधीय पौधें सहित) के संरक्षण एवं विकास के लिए **(NTFP)** योजना, अनुसूचित जन–जातियों एवं ग्रामीण निर्धनों के सहयोग से उजड़े हुए वनों को फिर से लगाने कि लिए योजना **(ASTRP)** आदि को मिलाकर राष्ट्रीय वनीकरण परियोजना का गठन किया गया है। इसका गठन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी योजनाओं में कमी करने, वित्त पोषण में एकरूपता लाने और क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने, अनुदान–राशि की उपलब्धता में विलम्ब को दूर करने और परियोजना के गठन एवं उसके क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 100% केन्द्रीय वित्त–पोषित योजना द्वारा (केवल **(AOFFP)** जैसा अनुच्छेद 2-3 में दिया है को छोड़कर) किया जायेगा।

1. योजना के उद्देश्य :-

1.1 अल्पावधि उद्देश्य : (Short Term Objectives)

– उजड़े हुए वनों एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में जलाशयों पर आधारित वनों को पुनः लगाना एवं पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना।

– पुनरोत्पादित क्षेत्रों मे जलाऊ लकड़ी, चारे एवं घास की उपलब्धता का सम्वर्धन करना।

– पुनरोत्पादित क्षेत्रों से वनोत्पादों के निष्पक्ष बँटवारे और उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए वनों के प्रबन्धन एवं प्रशासन तथा सार्वजनिक संसाधनों मे भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाओं के गठन एवं पुनरोत्पादन के प्रयासों के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

– कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सम्पत्ति के संसाधनों का विकास करना।

– ईंधन की बचत के तरीकों को बढ़ावा देना ताकि जलाऊ लकड़ी का समुचित उपाय करके उन ग्रामीण महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी लायी जा सके, जिसको इकट्ठा करने में वे कठिन परिश्रम करती हैं। इस तरह से पर्यावरण में सुधार लाया जा सकता है।

– गैर इमारती वनोत्पादों जैसे बांस, बेंत और औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास करना।

– गैर इमारती उत्पादों– जैसे मोम, शहद, फलों और अखरोट आदि को पुनरोत्पादित क्षेत्रों से उत्पादन को बढ़ावा देना।

– समुद्री–तटों पर शरण–स्थलियों का निर्माण करना ताकि चक्रवाती हवाओं के बुरे प्रभाव में कमी लायी जा सके।

– वृक्षारोपण और जल–संग्रहण कार्यक्रम के द्वारा पानी के संसाधनों को विकसित करना।

– उन्नतिशील तकनीकों जैसे क्लोन के विस्तार और जड़ो से पौधे को उगाना तथा रोग–प्रतिरोधक टीकों आदि के विकास और विस्तार को बढ़ावा देना।

– विशेष समस्याओं युक्त जमीनों मृदाओं जैसे–क्षारीय/लवणीय या नमीयुक्त भूमि, कन्दरायुक्त, मरूस्थलीय

क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाटों आदि का पुनर्वास करना।

– समाज के सुविधाविहीन वर्गों के लोगो विशेषकर–महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए वनों एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

1.1.2 दीर्घकालिक उद्देश्य (Long Term Objectives)

– लोगों की सक्रिय भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना।

– भूमि–क्षरण, वनों के कटाव और जैविक विविधता के ह्यस को रोकना।

– पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, पर्यावरणीय संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास।

– ग्रामीणस्तरीय लोगों के संगठनों को बढ़ावा देना जो अपने गाँवों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबन्धन कर सकें।

– लोगों की सार्वजनिक भलाई के लिए उत्पादकता, न्यायपूर्ण और स्थायित्व के विस्तृत उदेश्यों को पूरा करना।

– वन–क्षेत्रों में एवं उसके आसपास वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगो के जीवन–स्तर में गुणवत्ता लाना एवं उनकी आत्म–निर्भरता की आकांक्षा को प्रोत्साहित करना।

– ग्रामीण लोगो की योग्यता को बढ़ाना तथा उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाकर उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

2. क्रियान्वित करने वाली इकाइयाँ : (Implementing Agencies)

यह योजना निम्नलिखित राज्य स्तरीय इकाइयों द्वारा क्रियान्वित की जायेंगी।

– 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी परियोजनायें द्वि–स्तरीय व्यवस्था जिनके नाम क्रमशः "वन विकास अभिकरण" **(FDAS)** और "संयुक्त वन प्रबन्धसमितियाँ" **(JFMCs)** हैं।

– **10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना का रख-रखाव करना**–राज्य वन विभाग या वन विकास अभिकरण द्वारा।

2.1 सहभागी तरीके के अन्तर्गत इस परियोजना का क्रियान्वयन द्वि–स्तरीय व्यवस्था–जिनके नाम क्रमशः "वन विकास अभिकरणो **(FDAs)** और "संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों **(JFMCs)** को सम्मिलित करके किया जायेगा। इस विकेन्द्रीकृत संस्थानिक ढाँचे के अन्तर्गत समुचित वनीकरण कार्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन में समुदाय के लोगो की व्यापक भागीदारी की स्वीकृति है। यह लोगों पर आधारित वनीकरण कार्यक्रम का तरीका क्रियान्वयन होगा जो संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के वनीकरण और उससे सम्बन्धित कार्य–कलापों के लिए धन–राशि की उपलब्धता बनाये रखने में एक मजबूत एवं स्थायीयांत्रिक–प्रक्रिया प्रदान करेगा। लोगो की एकता के आधार पर निर्मित ढ़ाँचा, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, विकेन्द्रीकरण के द्वारा उत्पन्न जवाबदेही उत्तरदायित और अधिकार तथा जिम्मेदारी (भौतिक एवं वित्तीय) को बढ़ावा देगा। गांव की गणना एक योजना एवं उसके क्रियान्वयन के कारक, के रूप में की जायेगी, तथा इस योजना के अन्तर्गत सारी क्रियायें ग्रामीण स्तर पर आधारित मानी जायेगी। द्वि–स्तरीय व्यवस्था के द्वारा केवल जमीनी स्तर से जुड़े लोगों का क्षमता–संवर्धन ही नहीं होगा, बल्कि यह स्थानीय लोगों को निर्णय–प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उन्हें अधिकार सम्पन्न करेगा।

(अ) वन विकास अभिकरण का गठन राज्य स्तर पर/क्षेत्रीय वन्य–जीव वन–मंडलीय स्तर पर किया जायेगा

जैसा संलग्नक–"ए" में दिया गया है। वन विकास अभिकरण समितियां पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगी। वन विकास अभिकरण के क्रिया–कलापों एवं उसके कार्यो की भी चर्चा संलग्नक "ए" में की गयी है।

(ब) मौलिक रूप से जमीनी स्तर पर आधारभूत संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ एक गाँव में कार्य करेंगी। संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का गठन और उसके कार्यो का विवरण संलग्नक 'बी' में दिया गया है। संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ अपने अपने राज्यों में वन्य जीव वन संरक्षक के यहाँ पंजीकृत होंगी ।

2.2 वन विकास अभिकरण और संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ आपसी सहमति के एक स्मरण–पत्र पर हस्ताक्षर करेंगी जिसमें आपसी नैतिक बन्धनों, अधिकारों एवं कार्यो का वर्णन होगा। इस स्मरण–पत्र के अन्तर्गत यह उल्लेख भी होना चाहिए कि अन्य बिन्दुओ के अतिरिक्त वन विकास अभिकरणों को यह अधिकार भी होगा कि वह संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को दी जाने वाली सहायता राशि को बन्द कर या वापस ले सकती हैं, यदि संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये गये अथवा उस प्रकिया को नहीं अपनाया गया जिसे अपनाया जाना चाहिए था।

2.3 परियोजना के रख–रखाव की लागत जो 9 वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं–समन्वित ग्राम वनीकरण एवं परिस्थितिकीय विकास परियोजना, तटीय शरण स्थलीय वृक्षारोपण, गैर इमारती वनोत्पादनों–बांस वृक्षारोपण और औषधीय पौधों (सहित) और अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धन लोगों के संगठन वनीकरण के लिए दिया गया है, की भी राज्य वन विभागों को दिया जायेगा जिसे केन्द्रीय वित्त–पोषण योजना के अर्न्तगत 10वी पंचवर्षीय योजना में 100% सहायता राशि के रूप में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए दिया गया है। जहाँ तक क्षेत्रीय स्तर पर जलाऊ लकड़ी (ईधन) और चारे के उत्पादन को बढावा देने हेतु योजनाओं की स्थिति है उसके अन्तर्गत रख–रखाव की लागत 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 50% धनराशि ही स्वीकृत की जायेगी। 10वीं योजना के मध्य क्षेत्रीय स्तर पर जलाऊ लकड़ी (ईधन) और चारे के उत्पादन को बढ़ाना देने हेतु किसी नयी परियोजना को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य वन विभागों को योजना की शर्तों एवं अनुबन्धों के अनुरुप सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी न कि वन विकास अभिकरण की यान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार।

2.4 "समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना के लिए शेष परियोजना लागत जिसे वन विकास अभिकरण के नियमों के अनुसार कार्य करनें के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तिम दो वर्षो में स्वीकृत किया गया है, उसे भी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वनीकरण परियोजना के रूप में दिया जायेगा।

3. **परियोजना-क्षेत्र : (Project Area)**

3.1 जहाँ तक सम्भव हो जलाशयों एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रो को ही सदैव इसके लिए चुना जायेगा। यद्यपि उनके बहुत ही पास की भूमि को भी इसके लिए चयन किया जा सकता है, यदि स्थानीय परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं।

3.2 योजना के अर्न्तगत बहुत पास की भूमि का न्यूनतम क्षेत्र स्वीकृत नहीं किया गया है। यद्यपि इस परियोजना का लक्ष्य जहाँ तक सम्भव हो सन्धि पर आधारित है, और 20 हैक्टेयर से कम का भूखण्ड सामान्यतः इस परियोजना में सम्मिलित नही किया जाता। जबकि स्वरूप अपवाद छोटे आकार के भूखण्डों को भी उसके लिए चुना जा सकता है।

3.3 परियोजना क्षेत्रो का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि परियोजना का विस्तृत भाग जिसके

अन्तर्गत उजड़े हुए वनों, चारागाहों और सामुदायिक भूमि को सम्मिलित किया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसी भूमि को भी इस परियोजना में सम्मिलित किया जा सकता है जो सड़को अथवा नहरों के किनारे और रेलवे लाइनों के समीप हो, जिससे दीर्घकालिक रूप से दो या दो से अधिक कतारो में वृक्षारोपण किया जा सकते।

3.4 परियोजना का क्षेत्र प्रमाणित वनों एवं उसके समीपवर्ती भूमि क्षेत्रों, जिसमें गाँव की सामुदायिक भूमि, सार्वजनिक भूमि, सरकारी बंजर भूमि, वनो को नष्ट करके प्राप्त की गयी भूमि और व्यक्तिगत भूमि क्षेत्रो तक ही सीमित होनी चाहिए। समुचित कृषि–वानिकी (एग्रो–फारेस्ट्री) के नमूने को नष्ट हुए वनो से प्राप्त भूमि और व्यक्तिगत भूमि के उपर इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरह के प्रयासों को दूसरे स्त्रोतों–जैसे जिला ग्राम विकास अभिकरण, **(MPLAD)** आदि से सहायता के रूप में जाना जा सकता है।जब कि इन क्रिया कलापों का अलग से लेखा–जोखा रखा जायेगा।

4. परियोजना की योजना बनाना (Project Planning)

4.1 **संयुक्त वन-प्रबन्ध (JFM)** – संयुक्त वन–प्रबन्ध सभी प्रकार की परियोजनाओं का एक केन्द्रीय एवं सम्पूर्ण भाग होगा। द्वि–स्तरीय संस्थागत कार्य–प्रणाली जैसा कि पहले ही पैरा 2-1 में दिया गया है, "संयुक्त वन प्रबन्ध समितियाँ प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में कार्य करेंगी। परियोजना के प्रारम्भिक चरण में "वन–विकास अभिकरण" द्वारा गठित "संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों" को सबल करने का कार्य करेंगी और जहाँ गांवो में ये समितियाँ गठित नहीं हो पायी है वहाँ इनके गठन का कार्य करेगी। वन विकास एजेंसी (अभिकरण) को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्राम–वासियों को परियोजना के उद्देश्यों और इसके क्षेत्र आपसी कर्तव्य और उनके भूमि के अस्थायी उपभोग सम्बन्धी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दें। परियोजना क्षेत्रों से भूमि का अस्थायी उपयोग लोगो को संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के प्रावधनों के अनुरूप करने के लिए दिया जायेगा जैसा कि उनसे सम्बन्धित राज्य सरकारों की जारी अधिसूचना में दिया गया है। एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का तरीका निश्चित रूप से अपनाया जाना चाहिए जैसा कि संलग्नक "सी" में दिया गया है।

4.2 परियोजना प्रस्ताव (Project Proposal)

4.2.1 परियोजना की योजना बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत एक काल्पनिक विस्तृत–ढ़ांचे के निर्माण से करनी चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इसके अन्तर्गत कितने क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा, किस–2 तरह से कार्य इसके अन्तर्गत सम्पन्न होगे तथा प्रस्तावित परियोजना में खर्च होने वाले धन का विवरण हो। परियोजना–प्रस्ताव के अन्तर्गत निश्चित रूप से यह दर्शाया गया हो कि इसके अन्तर्गत किस प्रकार की और कितनी वनस्पतियों को शामिल किया जायेगा तथा सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र तथा उसकी स्थिति, परियोजना के गठन में स्थानीय लोगों से कितना परामर्श लेना है, भूमि के अस्थायी उपयोग का तरीका तथा परियोजना के क्रियान्वयन में लोगो की प्रस्तावित सहभागिता आदि का अवश्य उल्लेख होना चाहिए। परियोजना के उदेश्य में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि किस क्षेत्र को सम्मिलित किया जायेगा तथा परियोजना की समाप्ति के पश्चात अनुमानित लाभ कितना होगा? आधारभूत आँकड़े एवं मूल्यांकन हेतु अपनाया तरीका परियोजना रिपोर्ट का एक अंश (भाग) होना चाहिए जिसके आधार पर एक परियोजना स्वीकृत की जायेगी। यद्यपि इसमें सुधार और अन्तिम रूप प्रथम–मूल्यांकन के पश्चात समुदाय के लोगों से परामर्श और सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के पश्चात् किया जा सकता है। परियोजना–रिपोर्ट जमा करने का प्रारूप, आवश्यक पत्रजातों की सूची जिसे संलग्न करना है और सहायता राशि प्राप्त करने की विधि आदि का विवरण क्रमशः संलग्नक **'D', 'F'** और **'E'** में दिया गया है। "वन विकास अभिकरणों" द्वारा तैयार किये

गये परियोजना–प्रस्तावों को सम्बन्धित प्रधान मुख्य वन संरक्षकों द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास–परिषद्, पर्यावरण एवं वन–मंत्रालय को अग्रसारित किया जायेगा। उन्हीं राज्यों के परियोजना–प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बनाये गये योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनी स्वीकृति दी है। वे राज्य जिन्होंने पहले से ही 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य वन विकास अभिकरण के तरीकों का अनुकरण करते हुए ''समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना'' के क्रियान्वयन हेतु अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। उन्हें इस विषय में अलग से स्वीकृति भेजने की आवश्यकता नहीं है।

4.3 सूक्ष्म-नियोजन (Micro-Planning)

4.3.1 परियोजना की स्वीकृति ''राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद'' द्वारा मिलने के बाद सूक्ष्म–नियोजन हेतु निर्धारित धन राशि ''वन विकास अभिकरणों'' के नाम भेंज दी जायेगी जिससे कि सूक्ष्म–नियोजन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जा सके और परियोजना के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकें। सूक्ष्म–नियोजन पर आधारित कार्यक्रमों को वन विकास अभिकरणों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व ही बना लेनी चाहिए। इसमें संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों और स्थानीय समुदाय के लोगो से पूरी परामर्श लेनी बांदनीय है। सूक्ष्म नियोजन के विषय में एक टिप्पणी संलग्नक **"G"** में दी गयी है।

4.3.2. वन विकास अभिकरण सूक्ष्म–नियोजन की तैयारी करने में ''राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद'' के क्षेत्रीय कार्यालय से सहायता ले सकती हैं।

4.3.3. **सूक्ष्म-नियोजन बनाम कार्य-योजना:-** ऐसे वन–क्षेत्रों के लिए जिन्हे परियोजना में समाहित किया गया है, वन विकास अभिकरणों को यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि सूक्ष्म–नियोजन और इन क्षेत्रों में विद्यमान कार्ययोजना के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। जहाँ तक सम्भव हो, वन विकास अभिकरणों को यह चाहिए कि राज्य सरकारों के वन विभागों की मदद से इस तरह के मतभेदों में कमी लायें यदि सूक्ष्म–नियोजनों एवं कार्ययोजना के मध्य किसी तरह का मतभेद हो।

5. प्रवेश-बिन्दु क्रिया-कलाप (Entry Point Activities)

5.1 सूक्ष्म–नियोजन की तैयारी करते समय समुदाय के लोग ही परियोजना के लिए ''प्रवेश–बिन्दु क्रियाकलापों का निर्धारण करेंगे। इसे भी वन विकास अभिकरण के परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित किया जायेगा। यह उनके तकनीकी उपयुक्तता और वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रवेश बिन्दु क्रियाकलापों पर एक संक्षिप्त नोट संलग्नक **"H"** में दी गयी है।

6. परियोजना हेतु धन की प्राप्ति (Project Funding)

6.1 **धन प्राप्ति का प्रतिमान (तरीका)**- यह योजना वन विकास अभिकरणों को क्रियान्वयन के लिए ''केन्द्रीय वित्त–पोषित योजना'' के रूप में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद द्वारा शत–प्रतिशत **(100%)** केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जायेगी (केवल **AOFFP** योजना को छोड़कर जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया है वह दिशा–निर्देशों के पैरा 2.3 के द्वारा निर्धारित होगा)।

6-2 **लागत खर्च का मनाक - (Cost Norms)**

(मजदूरी की दर : रू 75/-- प्रतिदिन, देखे पैरा 6.22

(रू प्रति हेक्टेयर)

क्रम संख्या	नमूना/व्यवधान उत्पन्न करना	वृक्षारोपण रख--रखाव सहित	भूमि एवं नमी संरक्षण (वृक्षारोपण खर्च का 15%)	निगरानी एवं मूल्यांकन सूक्ष्म--नियोजन, घेराबन्दी जागरूकता/कार्यक्रम (वृक्षारोपण की लागत का 10%)	अतिरिक्त व्यय (वृक्षारोपण का 10%)	प्रवेश बिन्दु क्रियाकलाप (निश्चित)	योग
1.	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरोत्पादन (200 पौधे प्रति हेक्टेयर)	9750	1460	975	975	4000	17160
2.	कृत्रिम पुनरोत्पादन (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर)	17100	2565	1710	1710	4000	27085
3.	चारागाहों का विकास (400 पौधे प्रति हेक्टेयर)	11100	1665	1110	1110	4000	18985
4.	बांस लगाना (625 पौधे प्रति हेक्टेयर)	9300	1395	930	930	4000	16555
5.	बेंत लगाना (625 पौधे प्रति हेक्टेयर)	11100	1665	1110	1110	4000	18985
6.	मिश्रित वृक्षारोपण चारे और औषधीय पौधों सहित (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर)	17100	2565	1710	1710	4000	27085
7.	वर्षभर रहने वाली जड़ी--बूटियों एवं औषधीय मूल्यों वाले पौधों का पुनरोत्पादन	20400	3060	2040	2040	4000	31540

6.2.1 वनों को नष्ट करके अधिग्रहीत की गयी भूमि में 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर कृतिम पुनरोत्पादन हेतु लागू होगा।

6.2.2. लागत के नमूने के अन्तर्गत रू० 75.00/– प्रतिदिन की मजदूरी दर्शायी गयी है। कीमतों में बढ़ोतरी करने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को ही होगा। यदि वे इस बात की पुष्टि करें कि निर्धारित मजदूरी की दर (75.00/–) उनके राज्य में निर्धारित दर से कम है। लागत में वृद्धि मजदूरी में वृद्धि के अनुपात में ही की जायेगी। यदि प्रतिदिन की मजदूरी कहीं पर 75.00 रू० से कम है तो प्रति हेक्टेयर लागत प्रस्तावित दर से कम आयेगी।

6.2.3. इस लागत को निम्नरूप में वर्गीकृत किया जा सकता है --

(अ) वृक्षारोपण की लागत रखरखाव सहित 5 वर्षो तक के लिए।

(ब) **भूमि एवं आर्द्रता (नमी) के सरंक्षण सम्बन्धी क्रिया-कलाप** : वृक्षारोपण कार्यक्रम की लागत का अधिकतम 1.5% की स्वीकृति है। ये सभी क्रिया–कलाप परियोजना क्षेत्र में जहाँ आवश्यक है वहीं पर सम्पन्न किये जायेंगे।

(स) निम्नलिखित मदों पर ऊपर वृक्षारोपण की लागत का 20% से अधिक खर्च नहीं हो सकता।

(i) कर्मचारियों/कार्यालय/वाहन इत्यादि पर ओवरहेड (10% से अधिक नहीं)

(ii) निगरानी एवं मूल्यांकन को मिलाकर (2% से अधिक नहीं)

(iii) सूक्ष्म नियोजन (2% से अधिक नहीं)

(iv) घेराबन्दी (5% से अधिक नहीं) ऐसी परियोजनायें जहाँ पर घेरेबेन्दी की अधिक आवश्यकता है उसके लिए वृक्षारोपण की लागत का 10% खर्च स्वीकृत होगा।

(अ) जागरूकता फैलाने के लिए (1% से अधिक नहीं)

(द) उपकरण या सामग्री ओवरहेड खर्च से ही क्रय की जायेगी। इसकी कीमत सामान्यतः कम है। वृक्षारोपण के पश्चात 5 वर्षो तक सुरक्षा/रखवाली का कार्य रख–रखाव का ही भाग है वह स्वीकृत है। कर्मचारी जिन्हें रखरखाव की जिम्मेदारी दी गयी है वे उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होगें।

6.2.4 किसी मद के खर्च में हुई बचत का उपयोग सूची में अंकित मदों पर नहीं किया जायेगा। जैसे घेरेबन्दी और ऊपरीव्यय में हुई बचत को प्रसार/प्रवेश बिन्दु क्रिया--कलापों के ऊपर खर्च किया जायेगा।

6.3 सहायता राशि की उपलब्धता (Release of Funds)

6.3.1 जैसा कि अनुच्छेद (Para) 4.3.1 में कहा गया है कि सूक्ष्म नियोजन के लिए निर्धारित धन राशि "राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद" से स्वीकृत हो जाने के बाद एक ही किश्त में "वन विकास अभिकरण" को भेज दी जाऐगी।

6.3.2 सहायता–राशि जो कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के लिए दी जानी है उसकी प्रथम किश्त NAEB से स्वीकृति मिलने के पश्चात और सूक्ष्म–नियोजन प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम बनाने के पश्चात ही उपलब्ध करायी जाती है। इसके पश्चात धन (सहायता–राशि) वन विकास अभिकरणों को, सन्तोषजनक उनके कार्यो के पाये जाने पर और पहले भेजी गई सहायता राशि का समुचित उपयोग हो जाने पर ही दी जायेगी। प्रवेश बिन्दु क्रिया--कलापों के लिए पूरी धन–राशि प्रथम किश्त को भेजते समय ही दी जायेगी।

6.3.3 राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद (NAEB) द्वारा भेजी गयी 80% सहायता राशि

जो कार्यक्रमों के लिए वन विकास अभिकरण को भेजी गयी है उसे सम्बंधित "संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के खाते में 15 दिनो के अन्तर स्थानान्तरित कर दिया जायेगी। जब संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों द्वारा उपलब्ध सहायता राशि का 50% भाग खर्च हो जाता है तो शेष 20% धन–राशि उपलब्ध करा देनी चाहिए।

6.3.4 वन–विकास अभिकरणों को चाहिए कि वे ऊपरीव्यय के खर्च को अपने प्रशासनिक खर्च के लिए रखें तथा संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों या परिस्थितिकी विकास समितियों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर दें।

6.3.5 यदि वन विकास अभिकरण द्वारा किसी संयुक्त वन प्रबन्ध समिति/पारिस्थितिकी विकास परिषद का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो वन विकास अभिकरण स्मरण पत्र में वर्णित नियमों के अधीन (JFME/EDC) को आगे दी जाने वाली सहायता–राशि को बन्द करने के विषय में विचार कर सकती है। वन विकास–अभिकरण पहले भेजी गयी सहायता–राशि के खर्च पर भी रोक लगा सकती है। इस प्रकार के मामलों में, वन विकास अभिकरण वन विभाग को, NAEB से पूर्वस्वीकृति लेने के पश्चात शेष कार्यो को पूरा करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

7. **परियोजना की अवधि तथा वृक्षारोपण का रख-रखाव- (Project Duration and Maintenance of Plantations)**

7.1 इस योजना में परियोजना की अवधि 5 वर्षो तक के लिए होती है। परियोजना की अवधि के चौथे वर्ष में भी वृक्षारोपण की अनुमति है। पाँच वर्षो तक वृक्षों का रख–रखाव परियोजना–प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। रख–रखाव के लिए सहायता–राशि तभी दी जायेगी जब यह बकाया होगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में चौथे वर्ष तक के लिए अग्रिम कार्यो की स्वीकृति दी जायेगी। दसवी पंचवर्षीय योजना के पश्चात इस परियोजना की स्वीकृति तभी मिलेगी। यदि यह योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चलाने की स्वीकृति सरकार द्वारा मिलती हैं। यदि किसी कारणवश यह योजना ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत सम्मिलित नहीं की जाती हैं तो इस प्रकार के वृक्षारोपण के रख–रखाव की जिम्मेदारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात राज्य–सरकारों को अपने खर्च से उठानी होगी।

8. **उन्नतिशील तकनीक और समस्याग्रस्त भूमि का सुधार- (Improved Technologies And Treatment of Problem Lands)**

8.1 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं में उन्नत तकनीकों जैसे Tissue Culture, Clonal Seedling और Root-Trainer आदि में से उपयुक्त विधियों को सम्मिलित कर सकतें है। इसके लिए अधिक लागत और निरीक्षण की जरूरत पड़ती है और किस तरह से परियोजना क्षेत्र में इसका उपयोग किया जायेगा इसकी समुचित जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए समुचित रूप से परियोजना लागत में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन योजना के अन्तर्गत निर्धारित वृक्षारोपण की लागत से 25% से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार समस्यायुक्त भूमि जैसे क्षारीय भूमि या पठारी भूमि आदि के सुधार के लिए भी उपर की तरह वर्णित लागत–प्रतिमान के अनुरूप बढ़ोतरी की अनुमति होगी। उन्नत तकनीकों पर एक संक्षिप्त लेख (टिप्पणी) संलग्नक 'I' में दिया गया है।

9. **निगरानी एवं मूल्यांकन- (Monitoring and Evaluation)**

9.1 राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद (NAEB) राज्य–सरकारों के द्वारा मूल्यांकन करानें के बाद भी स्वंय इस परियोजना का मूल्यांकन किसी स्वतन्त्र एजेन्सी/सलाहकारों के द्वारा करायेगी। प्रथम मूल्यांकन परियोजना की स्वीकृति के 12 से 24 महीनें के बीच में किया जायेगा। यह मूल्यांकन विशेष रूप